फर्द अहकाम

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

समली बनाम सायरी वगैरह

किस्म मुकदमा 223 आर.टी.एक्ट नं. 10 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2020	प्रार्थी हनुमानराम पुत्र श्री पूनाराम जाति विश्नोई निवासी हिंगोनिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की ओर से श्री बाबुलाल विश्नोई अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब करने एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.पर अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई को सुना गया। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पूनाराम स्व. श्री गोपाराम का पुत्र हैं। प्रार्थी के पिता पूनाराम के हिस्से की भूमि में सें हिस्सा प्राप्त कर निवास कर रहा है। प्रार्थी के रहवास हेतु कोई पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रार्थी का नाम चयनित हुआ है। प्रार्थी के रहवास हेतु मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तावित है। परन्तु न्यायालय द्वारा अपील संख्या 15/2006 एवं 16/2006 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2020 आड़े आ रहा है। उक्त निर्णय में आदेशित किया गया है कि नये सिरें से पुन वाद का निर्णय किये जाने तक वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें। उक्त आदेश के रहते प्रार्थी के हिस्से में खसरा नं. 80 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तावित मकान नहीं बन सकता है। इसी खसरे में पक्षकार जगाराम पुत्र गोपाराम के भी मकान बनना प्रस्तावित है। उसमें भी इसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। प्रार्थी अपने बलबूते पर रहवासीय मकान बनाने में असमर्थ है। ऐसे लोगो की सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना नामक योजना चालू की, जिसमें दो कमरे, रसोई शौचालय बनाकर दिये जाते है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में भी पक्षकार श्रीमती अणची, श्रीमती हीरादेवी, हप्पाराम, रूपाराम ,पूनाराम जगाराम, श्रीमती गंगा, श्रीमती जस्सी, श्रीमती वरजू द्वारा खसरा संख्या 80 में प्रार्थी हनुमान पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई अपने हिस्से में प्रस्तावित मकान बनाना चाहता है जिसमें न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.08.2006 में छूट दिये जाने की सहमति पत्र पेश किये गये है। प्रार्थी को निर्णय दिनांक 24.08.2020 में इस मकान को बनाने की छूट प्रदान करना न्यायोचित है। अतः निर्णय दिनांक 24.08.2006 में प्रार्थी एवं जगाराम को प्रस्तावित मकान बनाने की छूट दिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् पाया गया है कि प्रार्थी न्यायालय हाजा के उपरोक्त निर्णीत मामलें में पक्षकार नही रहा है। मामला न्यायालय हाजा से बाद निर्णय रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय में अभी विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभी सहमति–पत्र मात्र रेस्पोडेन्ट पक्ष सहमति के है। अपीलांट पक्ष का कोई सहमति पत्र नही है। प्रार्थी यदि पूनाराम का वारिस है तो विरासतन नामांतरकरण के आधार पर खातेदार रूप मे दर्ज हो चुका होगा।ऐसी स्थिति मे उसे अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र करना चाहिए। ताकि अधीनस्थ न्यायालय, यदि प्रार्थना पत्र के तथ्यों से पूर्णयता संतुष्ट हो तो उस पर समुचित निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152, व 153 सीपीसी स्वीकार करने योग्य नही होने से खारिज किये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	